

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—164 / 2018 / 223 (2018 / 00164)

1. रामगोपाल पुत्र रामकरण,
2. किशनलील पुत्र स्व० रामकरण,
3. पांचू पुत्र स्व० रामकरण,
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मजरा डोहरिया, ग्राम मुण्डौती, ग्राम
पंचायत आकोड़िया, तह० अरांई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई, जिला अजमेर ।
2. सचिव / सरपंच, ग्राम पंचायत आकोड़िया, तह० अरांई, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश
विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 22.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या
117 / 2014 .

उपस्थित:—

1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंड संख्या 1.
3. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पोंड संख्या 2.

निर्णय

दिनांक:— 8.2.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 22.5.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी०न्याया० में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज०काश्त०अधि० 1955 सपठित धारा 20-1-ए कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मुण्डौती स्थित खसरा नंबर 684 / 29 रकबा 689-05-00 बीघा में से वादीगण 16 बीघा भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा सन् 1984 में सिवायचक खाते में दर्ज करना अंकित किया तथा दिनांक 26.6.2013 को बिना मौके की भौतिक जांच कराये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चारागाह हेतु आरक्षित की गई । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादग्रस्त आराजी को वादीगण ने मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है । राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी देने बाबत समय-समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किये गये हैं । विद्वान जिला

- कलक्टर द्वारा राजस्व मानचित्र तरमीम किये बिना वादग्रस्त भूमि को चारागाह घोषित किया गया है, जिला कलक्टर का उक्त आदेश शून्य होने से निरस्तनीय है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी०न्याया० ने आदेश दिनांक 22.5.2018 द्वारा [वादीगण/अपीलांटस](#) का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया । रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
 4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम मुण्डोती स्थित खसरा नंबर 684/29 रकबा 689-05-00 बीघा में से वादीगण 16 बीघा भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा मेहनत करके विवादित भूमि को काबिल काश्त बनाया है । राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी देने बाबत समय-समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किये गये हैं । विद्वान जिला कलक्टर द्वारा राजस्व मानचित्र तरमीम किये बिना वादग्रस्त भूमि को चारागाह घोषित किया गया है, जिला कलक्टर का उक्त आदेश शून्य होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने बिना विवाद बिन्दु कायम किये तथा बिना वादीगण की साक्ष्य लिये तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 22.5.2018 द्वारा वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट आकोडिया हतु वादीगण को दिनांक 22.5.2018 का अटल सेवा केन्द्र आकोडिया में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये थे । वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक कथन अंकित करते हुए नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसका अवलोकन किये बिना अधी०न्याया० ने वाद खारिज किया है । अधी०न्याया० का आदेश नॉन-स्पीकिंग आदेश है । अधी०न्याया० द्वारा आदेशिका दिनांक 17.6.2016 के अंतर्गत प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 24.6.2016 वास्ते तनकी कायम किये जाने हेतु दी गई थी इसके पश्चात् प्रकरण लगातार तनकी कायम किये जाने हेतु विचाराधीन था इसके बावजूद अधी०न्याया० की ओर से लगभग 20 तारीख पेशियां निकल जाने के बावजूद तनकी नहीं बनाई गई । अधी०न्याया० ने बिना तनकी कायम किये मनमाने ढंग से आदेश 114 नियम 1 जा०दी० के प्रावधानों के विपरीत वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित भूमि को राजस्व ग्राम डोहरिया के अंतर्गत शामिल किये जाने के संबंध में तथा वादीगण को कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने के संबंध में वादीगण की ओर से धारा 83 भू-राजस्व अधि० के तहत एक निगरानी माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्व उपनिवेशन पुनर्वास एवं देवस्थान विभाग, राज० सरकार जयपुर के समक्ष एल०आर०/संख्या प०5/(3) राज.3/2016 जिला अजमेर प्रस्तुत की थी जिसको माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने स्वीकार कर आदेश पारित किया है कि " वर्तमान में डोहरिया नाम का कोई राजस्व ग्राम घोषित नहीं है इस कारण डोहरिया के नाम कोई भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हो सकती । वस्तुतः डोहरिया राजस्व ग्राम मुण्डोती का ही एक मजरा है । इसलिये मजरा डोहरिया के निवासीगण एवं निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि ग्राम मुण्डोती के खसरा नंबर 684/29 पर मौके पर विद्यमान अतिक्रमणों को तहसीलदार, अरांई द्वारा पुनः सर्वे करवाया जाए तथा यदि अतिक्रमित

क्षेत्र (जो पूर्व सर्वे अनुसार लगभग 98 बीघा है) मजरा डोहरिया की तरफ पाया जाता है तथ इस 98 बीघा अतिक्रमित क्षेत्र को फिलवक्त पूर्वतः गै0मु0 छपर-सिवायचक रखा जाए । इसकी नक्शे में तरमीम डोहरिया की तरफ की जाए । जिस 98 बीघा भूमि पर भूप्रबंध से पूर्व ही लोग मौके पर बसे हुए है उस भूमि को आबदी में सपरिवर्तन करने हेतु कलैक्टर, अजमेर के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करवाया जावे तब तक इन काश्तकारों को मौके से बेदखल नहीं किया जावे । अतिक्रमण से मुक्त भूमि को चारागाह रखा जावे जिस पर पशु चरने हेतु ग्राम मुण्डोती तथा मजरा डोहरिया के निवासियों का समान अधिकार होगा । ” अधी0न्याया0 ने माननीय राजस्व मंत्री के उक्त आदेश का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेशे पारित किया है जो निरस्तनीय है । वादीगण समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं समस्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधिनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण के वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ का आदेश दिनांक 22.5.2018 को निरस्त कर वादीगण को वादपत्र में दर्शाये अनुसार खातेदार घोषित किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर खातेदारी दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।
6. रेस्प0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि चारागाह है जिसकी देखरेख का जिम्मा ग्राम पंचायत का है । धारा 16 के अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद विधिसम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।
7. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 8.6.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट आकोड़िया में पेश हुई । उक्त तिथि को पत्रावली वास्ते तनकियात नियत की गई किन्तु इसके पश्चात् लगभग 20 पेशियों तक पत्रावली में तनकियात कायम नहीं की गई है इसके बावजूद पत्रावली दिनांक 22.5.2018 को पत्रावली कैम्प कोर्ट आकाड़िया में रखी गई । दिनांक 22.5.2018 को ही अधी0न्याया0 ने [वादीगण/अपीलांटस](#) के वाद को विवादित भूमि चारागाह होने के आधार पर खारिज किया है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि अधी0न्याया0 को वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश, आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत प्रकरण में तनकियात कायम किये बिना तथा साक्ष्य सबूत कर अवसर दिये बिना तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 22.5.2018 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का आदेश दिनांक 22.5.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीन न्यायाधीश को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादपत्र एवं जवाबदावों के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर